

नालीगाठी कि मोर। धुईलेव होते इये
अपतव 11 NPH

AGENCY COPY

यूनियन बैंक Union Bank
of India



Challan for collection of CAMPA fund

Date : 09-11-2021

Client Code.	CAM5089
Location.	UTTARANCHAL
Remitter Name.	PUBLIC WORK DEPARTMENT
PIF/Application No.	8145667255
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/101/2020/FC
Address.	Temporary Division, PWD, Rishikesh Dehradun
Remitter Contact No. Email-Id. Mobile No. Landline No.	eetdrksh@rediffmail.com 9412053901 135-2430660
Amount(In Rs)	2456353/-
Beneficiary Branch and Code	Union Bank Of India Lodhi complex (03712)

Amount in Words: Twenty-Four Lakh Fifty-Six Thousand Three Hundred and Fifty-Three Rupees Only

Executive Engineer
(Signature)

TY. Division P.W.D.

Rishikesh Dehradun

Branch Number

Branch Stamp

Bank Official
(Signature)

- Branches should use CMS menu (FCS & CAPS) to process the transaction
- Challan should only be accepted against INST/DD.
- Enter the Remitter Name in Additional Information 1
- Enter the Remitter Mobile number in Additional Information 2

After making successful payment, User Agencies m

Note: After making the required payment through ch then kindly mail a copy of your challan with transac
Email: epurse@unionbankofindia.com

प्रमाण-पत्र

परियोजना का नाम:- जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र डोईवाला में कालीमाटी चितौर घाईसेन होते हुए तलाई तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.5225 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

प्रमाणित किया जाता है कि अनुपालन रिपोर्ट ई-पोर्टल पर अपलोड की जाएगी।


सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०
ऋषिकेश


अधिसारी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०
ऋषिकेश

प्रमाण-पत्र

परियोजना का नाम:- जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र डोईवाला में कालीमाटी चितौर घाईसेन होते हुए तलाई तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.5225 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

प्रमाणित किया जाता है कि यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालयआदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्त एजेंन्सी की जिम्मेवारी होगी।

सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०
ऋषिकेश

अधिशायी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०
ऋषिकेश

प्रमाण-पत्र

परियोजना का नाम:- जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र डोईवाला में कालीमाटी चितौर घाईसेन होते हुए तलाई तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.5225 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

प्रमाणित किया जाता है कि परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख-रेख में किया जायेगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जायेगा।


सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०
ऋषिकेश



अधिसासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०
ऋषिकेश

प्रमाण-पत्र

परियोजना का नाम- जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र डोईवाला में कालीमाटी चितौर घाईसेन होते हुए तलाई तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.5225 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

प्रमाणित किया जाता है कि पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।



सहायक अभियन्ता
अस्थायी खण्ड लो०नि०वि०
अधिकारी


अधिसारी अभियन्ता
अस्थायी खण्ड लो०नि०वि०
अधिकारी

प्रमाण-पत्र

परियोजना का नाम:- जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र डोईवाला में कालीमाटी चितौर घाईसेन होते हुए तलाई तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.5225 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

प्रमाणित किया जाता है कि उनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन(संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाईल सं० 11-42/2017-एफ०सी० दि० 29.01.2018 के अनुसार उस पर कारवाई होगी।


सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०
ऋषिकेश


अधिसासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०
ऋषिकेश

प्रस्ताव-पत्र

विशेषज्ञता का नाम:- अजयपुर रोडबायपास से सिधावल्लभा लोक ब्रीडिंगगावा के करीबीवाली बिलीय चार्जमेंट होते हुए लम्बाई तक रोड पर मार्ग से निर्माण हेतु 1.00000 हेक्टा एक भूमि का वीर वाणिज्यी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग से प्रस्तावित है।

अज्ञात कितना जाता है कि रोड सफाया की पूर्णगुणति के बिना प्रस्तावित हेतु प्रस्तावित वन भूमि कितनी की अतिरिक्त के कितनी की अन्य पूर्णगुणति विभाग अथवा जमिन की हस्तांतरित नहीं की जाएगी।



अज्ञात कितना
अथवा अन्य लोकरिणित
अतिरिक्त


अज्ञात कितना
अथवा अन्य लोकरिणित
अतिरिक्त

प्रमाण-पत्र

परियोजना का नाम:- जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र डोईवाला में कालीमाटी चितौर घाईसेन होते हुए तलाई तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.5225 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रत्यावर्तन की अवधि को प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में मिली लीज की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ, जो भी कम हो, लक्षित किया जाएगा।


सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०
ऋषिकेश


अधिशारी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०
ऋषिकेश

प्रमाण-पत्र

परियोजना का नाम:- जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र डोईवाला में कालीमाटी चितौर घाईसेन होते हुए तलाई तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.5225 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

प्रमाणित किया जाता है कि परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र क अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।


सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०
ऋषिकेश


अधिसूत्री अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०
ऋषिकेश

प्रमाण-पत्र

परियोजना का नाम:- जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र डोईवाला में कालीगाटी चितौर घाईरोन होते हुए तलाई तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.5225 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रत्यावर्तित वनभूमि की सीमा के परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जाएगा।



सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०
ऋषिकेश


अधिशारी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०
ऋषिकेश

प्रमाण-पत्र

परियोजना का नाम:- जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र डोईवाला में कालीमाटी चितौर घाईसेन होते हुए तलाई तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.5225 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राजकीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक इंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक इंधन दिया जाएगा।


सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०
ऋषिकेश


अधिसासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०
ऋषिकेश

प्रमाण-पत्र

परियोजना का नाम:- जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र डोईवाला में कालीमाटी चितौर घाईसेन होते हुए तलाई तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.5225 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

प्रमाणित किया जाता है कि वनभूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।


सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०
ऋषिकेश


अधिसासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०
ऋषिकेश

प्रमाण-पत्र

परियोजना का नाम:- जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र डोईवाला में कालीमाटी चितौर घाईसेन होते हुए तलाई तंक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.5225 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

प्रमाणित किया जाता है कि केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।


सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०
ऋषिकेश


अधिसासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०
ऋषिकेश

प्रमाण-पत्र

परियोजना का नाम:- जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र डोईवाला में कालीमाटी चितौर घाईसेन होते हुए तलाई तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.5225 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

प्रमाणित किया जाता है कि पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा।


सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०
ऋषिकेश


अधिसाक्षी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०
ऋषिकेश

प्रमाण-पत्र

परियोजना का नाम:- जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र डोईवाला में कालीमाटी चितौर घाईसेन होते हुए तलाई तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.5225 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

प्रमाणित किया जाता है कि सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू/ एनबीडब्ल्यूएल/एफएसी/आरईसी की सिफारिशों के अनुसार उपयोगकर्ता अभिकरण संरक्षित क्षेत्र ध्वन क्षेत्र में उपयुक्त अंडर/ओवर पास प्रदान करेगा।


सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०
ऋषिकेश


अधिसासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०
ऋषिकेश

प्रमाण-पत्र

परियोजना का नाम:- जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र डोईवाला में कालीगाटी चितौर घाईरोन होते हुए तलाई तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.5225 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

प्रमाणित किया जाता है कि संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जाएंगे।


सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०
त्र्यधिकेश

अधिसारी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०
त्र्यधिकेश

प्रमाण-पत्र

परियोजना का नाम:- जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र डोईवाला में कालीमाटी चितौर घाईसेन होते हुए तलाई तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.5225 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

प्रमाणित किया जाता है कि आईआरसी मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों एवं उसके बीचों बीच पौधों की संख्या बढ़ायेगा।


सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०
ऋषिकेश


अधिसासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०
ऋषिकेश

प्रमाण-पत्र

परियोजना का नाम:- जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र डोईवाला में कालीमाटी चितौर घाईसेन होते हुए तलाई तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.5225 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

प्रमाणित किया जाता है कि एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा।



सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०
ऋषिकेश



अधीक्षारी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०
ऋषिकेश

प्रमाण-पत्र

परियोजना का नाम:- जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र डोईवाला में कालीमाटी चितौर घाईसेन होते हुए तलाई तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.5225 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

प्रमाणित किया जाता है कि परियोजना के तहत प्राप्त धन केवल ई-पोर्टल (<https://parivesh-nic.in/>) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/जमा किये जायेंगे।


सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०
ऋषिकेश


अधिशाली अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०
ऋषिकेश

प्रमाण-पत्र

परियोजना का नाम:- जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र डोईवाला में कालीमाटी चितौर घाईसेन होते हुए तलाई तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.5225 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम कर देगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार **175 trees including 28 saplings** होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे।


सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०
ऋषिकेश



अधिसासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०
ऋषिकेश

प्रमाण-पत्र

परियोजना का नाम:- जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र डोईवाला में कालीमाटी चितौर घाईसेन होते हुए तलाई तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.5225 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

प्रमाणित किया जाता है कि विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिरण से वसूला जाएगा।



सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०
ऋषिकेश



अधिसूची अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०
ऋषिकेश

प्रमाण-पत्र

परियोजना का नाम:- जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र डोईवाला में कालीमाटी चितौर घाईसेन होते हुए तलाई तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.5225 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण पर आवश्यकता नहीं है।



सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०
ऋषिकेश


अधिसासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०
ऋषिकेश

प्रमाण-पत्र

परियोजना का नाम:- जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र डोईवाला में कालीमाटी चितौर घाईसेन होते हुए तलाई तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.5225 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

प्रमाणित किया जाता है कि वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात भारतीय वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति से पूर्व संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है।


सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०
ऋषिकेश


अधिसूत्री अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०
ऋषिकेश

प्रमाण-पत्र

परियोजना का नाम:- जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र डोईवाला में कालीमाटी चितौर घाईसेन होते हुए तलाई तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.5225 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

प्रमाणित किया जाता है कि वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 3.045 हे० सिविल सोयम भूमि ग्राम लड़वाकोट में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा जाहं तक व्यावहारिक हो स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जायेगा।


सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०
ऋषिकेश


अधिसासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०
ऋषिकेश

प्रमाण-पत्र

परियोजना का नाम:- जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र डोईवाला में कालीमाटी चितौर घाईसेन होते हुए तलाई तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.5225 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

प्रमाणित किया जाता है कि परियोजना निर्माण के लिए आवश्यक गैर वन भूमि सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।


सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०
ऋषिकेश


अधिसासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०
ऋषिकेश

प्रमाण-पत्र

.परियोजना का नाम:- जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र डोईवाला में कालीमाटी चितौर घाईसेन होते हुए तलाई तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.5225 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

प्रमाणित किया जाता है कि वनभूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जायेगी।



सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०
ऋषिकेश


अधिष्ठासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०
ऋषिकेश

प्रमाण-पत्र

परियोजना का नाम- जयपुर रोडसाइड के विद्यालयों क्षेत्र साईबाबा से कालीबाटी चितौर साईबाबा होते हुए लखाई तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.8225 हे० बन भूमि का पैन सानिटी कार्या हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रस्तावपत्र।

स्थापित किया जाता है कि बन भूमि का उपरोक्त परियोजना के अस्तित्व में विभिन्न प्रकार की अव्यवस्था अन्य किसी प्रकार के हेतु नहीं किया जायगा।


साहायक अधीक्षक
लखाई साईबाबा लोहापिठा
जयपुर


अधीक्षक अधीक्षक
लखाई साईबाबा लोहापिठा
जयपुर

पत्र सं०- /डी०एल०आर०सी०/भूमि आवंटन/2021-22

दिनांक - 10/2021

विषय:- जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र, डोईवाला में कालीमाटी विल्लीर घाईसेन होते हुए अपर तलाई तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 1.5225 है० वन भूमि लो०नि०वि० को हस्तान्तरण होने तथा उक्त निर्माण में आने वाली भूमि के बदले क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु दोगुनी भूमि आवंटन के सम्यन्ध में।

उप जिलाधिकारी,
डोईवाला।

उपरोक्त विषयक अपने कार्यालय पत्रांक-901/२०का०-2021 दिनांक 03 जुलाई 2021 एवं पत्रांक 239/एस०टी०-2021 दिनांक 05 जुलाई 2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र, डोईवाला में कालीमाटी विल्लीर घाईसेन होते हुए अपर तलाई तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 1.5225 है० वन भूमि लो०नि०वि० का हस्तान्तरण होने तथा उक्त निर्माण में आने वाली भूमि के बदले क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु दोगुनी भूमि आवंटन किये जाने हेतु ग्राम लवडाकोट तहसील डोईवाला के खाता संख्या 57 में खसरा नम्बर 260 में रक्बा 2.5050 है० एवं खसरा नम्बर 264 रक्बा 1.2590 है० में से 0.5400 है० कुल रक्बा 3.0450 है० भूमि श्रेणी 5-3-ड अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि को प्रस्तावित किया गया है।

आपके द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के कम में शासनादेश संख्या-2173/XVIII(II)/2012-18(120)/2010, राजस्व अनुभाग-2, देहरादून दिनांक 17, दिसम्बर, 2012, शासनादेश संख्या 111/XXVIII(7)50 (39)-2015 /2014-वित्त (वे०आ०-सा०नि०) अनुभाग-7 दिनांक 09 जुलाई, 2015 तथा शासनादेश संख्या 1887/XVIII(II)/2015-18(169)/2015 दिनांक 30 जुलाई, 2015 एवं शासनादेश संख्या 496/18(2)/2020-09(63)/2016 दिनांक 28 जुलाई 2020 में वर्णित प्राविधानों के अंतर्गत ग्राम लवडाकोट तहसील डोईवाला के खाता संख्या 57 में खसरा नम्बर 260 में रक्बा 2.5050 है० एवं खसरा नम्बर 264 रक्बा 1.2590 है० में से 0.5400 है० कुल रक्बा 3.0450 है० भूमि श्रेणी 5-3-ड अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग, उत्तराखण्ड को हस्तान्तरित/आवंटित किया जाता है। उक्त भूमि को राजस्व अभिलेखों में वन विभाग, उत्तराखण्ड शासन के नाम दर्ज करते हुये, कृत कार्यवाही से अवगत कराना सुनिश्चित करें।

ह०/-

(डॉ० आर० राजेश कुमार)

जिलाधिकारी

देहरादून

दिनांक-25.10.2021

प्रतिलिपि :- 1.प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2.अधिसासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, ऋषिकेश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अपर जिलाधिकारी(प्र०)
देहरादून